

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

11-11-22

पत्रावली पेश हुई वकील अपीलान्ट उर्फ  
रेसपो सं 2 व 7/4 को बार-बार आवेदन  
आने पर भी कोई उपस्थित नहीं अतः रेसपो  
सं 2 व 7/4 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही  
में लगी जाती है वद्वारा वकील अपीलान्ट सुनी  
गयी। वास्ते निर्णय पत्रावली दिनांक 21-11-22  
को पेश है।

(R)

21/11/2022

पत्रावली आज वास्ते निर्णय पेश हुयी। वकील अपीलान्ट  
उपस्थित। रेसपोन्डेन्ट्स के विरुद्ध पूर्व में साधारण सम्मन  
व बाद में अखबार द्वारा प्रकाशन के बाद भी हाजिर नहीं  
आने पर अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल  
में लायी जा चुकी है तथा रेसपो 2 व 7/4 की ओर से  
बार बार आवाज लगाने के बावजूद कोई हाजिर नहीं  
आने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।।  
पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस  
वकील अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहरान  
करते हुए कथन किया था कि अपीलाधीन नामान्तरकरण  
जिस भूमि से सम्बन्धित है वह भूमि नामा 0 दर्ज होने से  
पूर्व ही दिनांक 09.07.1964 को राज्य सरकार की विज्ञप्ति  
संख्या एफ 7(70) आरए 64 द्वारा वन विभाग के नाम  
नोटिफाईड हो चुकी है। फोरेस्ट कन्जरवेशन एक्ट 1980  
की धारा 2 व माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश  
दिनांक 12.12.1996 सिविल रिट याचिका सं 202/95  
उनवानी टी एन गौडा आदि बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया  
में पारित आदेश के क्रम में भी यह नामा 0 अवैध है अतः  
नामा 0 सं 9 ग्राम डुंगर फागणवास आदेश ग्राम पंचायत  
घासीपुरा दिनांक 20.11.1976 निरस्त कर भूमि वन विभाग  
के नाम दर्ज की जावें।


बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध  
अपील, राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।  
जिससे जाहिर है कि अपीलाधीन नामा 0 से सम्बन्धित  
वादग्रस्त भूमि राज्य सरकार की विज्ञप्ति संख्या एफ  
7(70) आरए 64 दिनांक 09.07.1964 द्वारा वन विभाग के  
नाम नोटिफाईड हो चुकी है। वन विभाग के नाम  
नोटिफाईड भूमि का नामान्तरकरण दर्ज करना विधि  
विरुद्ध है अतः नामा 0 निरस्त किया जाना न्यायोचित है।  
अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

(बृजेश कुमार)



### आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामा० सं० ९ ग्राम जुंगर फागणवास आदेश ग्राम पंचायत घासीपुरा दिनांक 20.11.1976 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार पाटन को आदेशित किया जाता है कि अपीलाधीन नामा० से सम्बन्धित वादग्रस्त भूमि का नामा० मुताबिक राज्य सरकार की विज्ञप्ति संख्या एफ 7(70) आरए 64 दिनांक 09.07.1964 वन विभाग के नाम दर्ज करें। तहसीलदार पाटन को इस हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

  
(बृजेश कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना  
(बृजेश कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना (सीकर)